भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 037821

05 APR

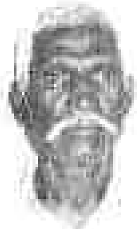

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि– रु0 4,45,786/–

बाजारू मूल्य – रु0 1,58,625/–

अदा किये गये जनरल स्टैम्प– रु0 31,250/–

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – बिजनौर
3. ग्राम – निजामपुर गढ़िगवां

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 037822

0 8 APR 20

4. सम्पत्ति का विवरण– भूमि खसरा संख्या 343मि0 रकबा 0. 282 है0 का 1/4 भाग अर्थात 0.0705 है0 स्थित ग्राम–निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5. मापन की ईकाई – हेक्टेअर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल– 0.0705 हेक्टेअर

7. सड़क की स्थिति – सुल्तानपुर रोड व अमरशहीदपथ से लगभग 200 मीटर से अधिक

8. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 037820
06 APR 201[illegible]

9. पेड़ों की स्थिति — नहीं है।

10. बोरिंग / कुआं अन्य— कुछ भी नहीं है।

<u>चौहद्दी खसरा नं0 343मि0</u>

उत्तर : खसरा नं0–342

दक्षिण : खसरा नं0–344, 345

पूरब : खसरा नं0–347, 345

पश्चिम: खसरा नं0–332 से 334

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 037819
06 APR 2011

प्रथम पक्ष की संख्या– 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या– 1

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
बुद्धा पुत्र लेखा निवासी ग्राम– निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ।	:	बाबूलाल पुत्र भगानी निवासी ग्राम– पूरे निधी, किलौली, जिला रायबरेली।
व्यवसाय– कृषि		व्यवसाय– कृषि

नि०अं० बुद्धा

ह० बाबूलाल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 037817

06 APR 2011

यह विक्रय विलेख बुद्धा पुत्र लेक्खा निवासी ग्राम– निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है एवम बाबूलाल पुत्र भगान निवासी ग्राम– पूरे ठ्रिधी, किलौली, जिला रायबरेली जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया। क्रेता व विक्रेता शब्द के अन्तर्गत उनके विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान व निष्पादकगण आदि सम्मिलित है।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 343मि0 रकबा 0.282 हे0 का 1/4 भाग अर्थात 0.0705 हे0 स्थित ग्राम–निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, काबिल व

नि0 अं0 बुद्धा

नि0 अं0 बाबूलाल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00090 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता को उक्त भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता उक्त भूमि केता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लास भूमि का हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि सीलिंग, पट्टे, भूदान व ग्राम समाज की भूमि नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 662766

करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नही किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नही लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नही है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 150184

इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 4,45,786/– (रू0 चार लाख पैंतालिस हजार सात सौ छिआसी मात्र) के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 150183

विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा केता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए केता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब केता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगें। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगें और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये — FIFTY RUPEES

रु.50 — Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 542352

कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,

लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है। यह कि केता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विकेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विकेता को कोई आपत्ति न होगी। यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम निजामपुर मझिगवां अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 22,50,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विकीत भूमि 0.0705 हेक्टेअर की मालियत रू0 1,58,625/-होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 31,250/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नही चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नही है विकीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय, खड़ंजा मार्ग पर स्थित नहीं है। विकीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता व क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है। लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने केता के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पडने पर काम आवे।

विक्रय पत्र

445,766.00/ 158,625.00 8,920.00 20 8,940.00 1,000

प्रतिफल मालियत फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्री बुद्धा
पुत्र श्री लेखा
व्यवसाय कृषि
निवासी स्थायी ग्राम निजामपुर मझिगवां पर.बिजनौर,लखनऊ
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 25/4/2011 समय 6:06PM
बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
25/4/2011

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री बुद्धा
पुत्र श्री लेखा
पेशा कृषि
निवासी ग्राम निजामपुर मझिगवां
पर.बिजनौर,लखनऊ

क्रेता

श्री रामगुलाम
पुत्र श्री भवानी
पेशा कृषि
निवासी ग्राम पूरे मिश्री किठौली रायबरेली

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री पंकज झा
पुत्र श्री राम नरेश झा
पेशा व्यापार
निवासी लालबाग,लखनऊ
व श्री संजय
पुत्र श्री [illegible]
पेशा व्यापार
निवासी [illegible] लखनऊ
ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
25/4/2011

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 **4,45,786/–** द्वारा चेक संख्या–234621 दिनांकित 18.03.2011 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य रू0 **4,45,786/–** (रू0 चार लाख पैंतालिस हजार सात सौ छिआसी मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं तथा अब कोई भी धनराशि विक्रेता को क्रेता से लेना शेष नहीं है।

लखनऊ

दिनांक 25.04.2011

गवाह :

1.

विक्रेता

2.

टाईपकर्ता:–

(लक्ष्मीन्द्र सिंह)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता:–

(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट लखनऊ

बिक्रेता

Registration No.: 5768

Year : 2,011

Book No. : 1

0101 बुधा

ठेवली

सा. [illegible] [illegible]

कृषि

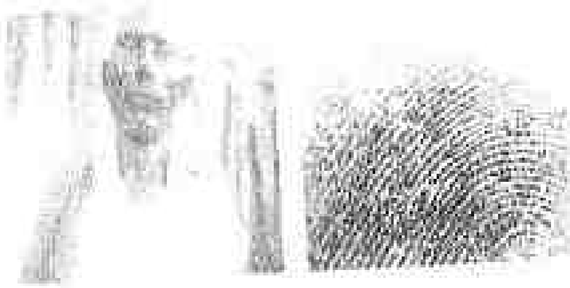

ग्राम →

खसरा संख्या → 343 मि० रकबा - 0.282 हे० 1/4

विक्रेता → छत्री

क्रेता → जाबुलाल

विक्रेता

नि० अं० छुट्टी

क्रेता

नि० अं० जाबुलाल

क्रेता

Registration No.: 5768 Year 2,011 Book No.: 1

0201 बाबुलाल
[illegible]
[illegible]
कृषि

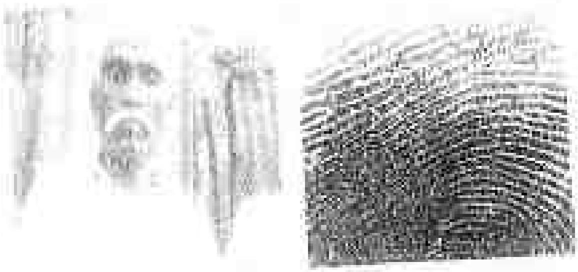

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा–32ए० के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

विक्रेता का नाम व पता:– बुद्धा पुत्र लेक्खा निवासी ग्राम– निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

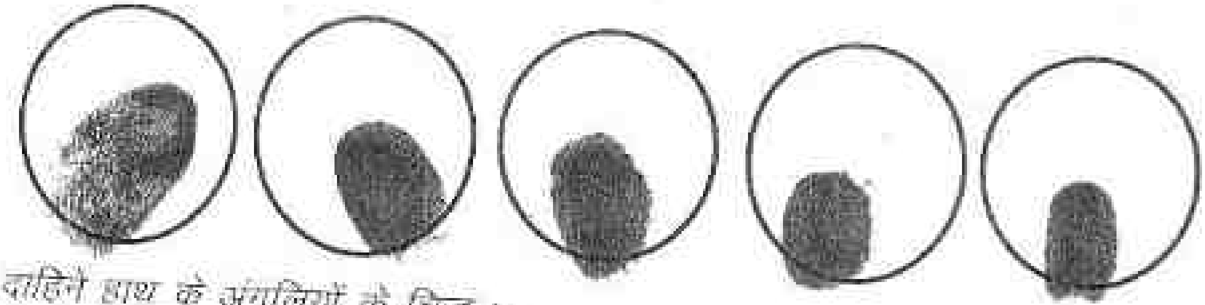

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

विक्रेता [illegible]

क्रेता का नाम व पता:– बाबूलाल पुत्र भगान निवासी ग्राम– पूरे निधी, किलौली, जिला रायबरेली

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

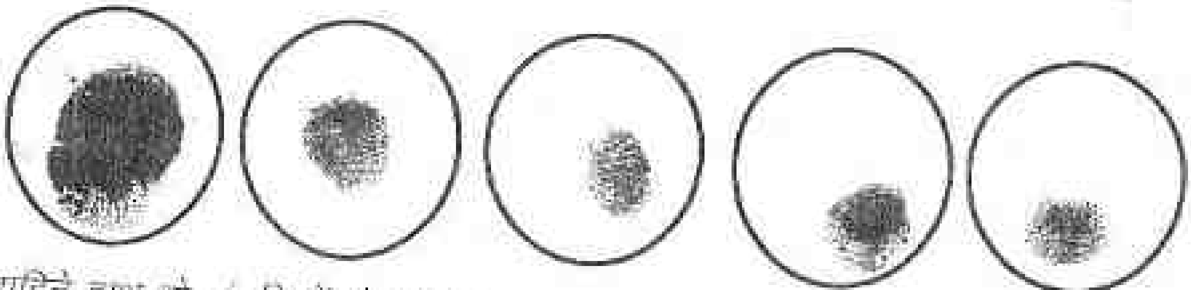

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

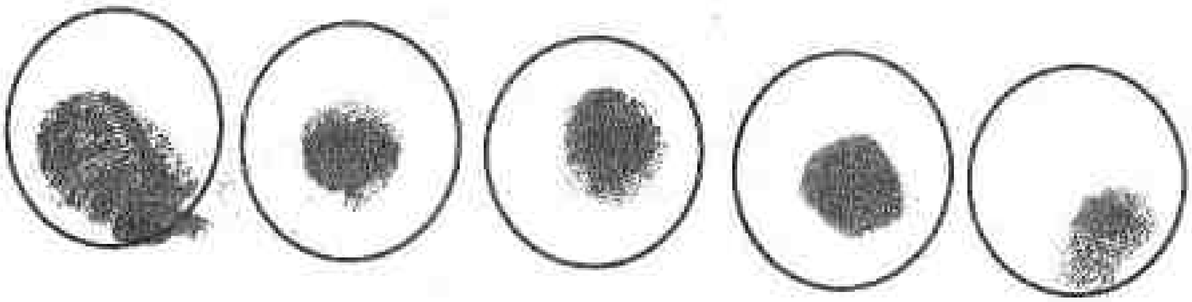

क्रेता [illegible]

आज दिनांक **25/04/2011** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **12680**

पृष्ठ सं. **205** से **232** पर क्रमांक **5768**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

25/4/2011